


18.7.23

पत्रावली पैश दुई, वकील वार्दा उपस्थित, वकील वार्दा का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।


उपस्यङ्ग अधिकारी
मांडस जिला भीलपाड़ा



डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
दईजलास श्री हुकमीचन्द्रोहनाधिया (आ००१०ए००)

अनमान प्रकरण

श्री पारसमल ज/० श्री धीरू लाल निवासी केरिया तहसील-माण्डल
दाल निवासी 99 A शास्त्रीनगर भीलवाड़ा (रा०)

वादी

वनाम

1. श्री मूरा ज/० श्री किशन दयोग निवासी- केरिया तहसील-माण्डल
2. ग्राम विकास पंचायत केरिया (परिचरपेय क्षयता सचिव ग्राम
विकास पंचायत केरिया तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा (रा०))

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 व 188 मुकदमा नं० / वर्ष 533/02 निर्णय दिनांक 18-07-23
यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुददई व श्री मूक लाल बाफला A/c. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र इस आशय का डिक्री
डिया जाता है कि ग्राम केरिया परवार हल्का केरिया तहसील माण्डल की
आराजी नं० 2578 खब्दा 02 बीघा 10 बिस्वा का खतैदार काश्तकार
घोषित करते हुए वाद से सलंगन नजरी नमशा प्रदर्श-1 के अनुसार
आराजी नं० 2578 के पश्चिम में दर्शाए गए मू-भाग मार्क ए.बी.सी
डी के मध्य स्थित बकबे से प्रतिवादी श्री मूरा पिता श्री किशन दयोग
निवासी केरिया तह माण्डल को छेदखल कर कब्जा वादी को दिलाए
जाने का आदेश दिया जाता है।

आज तारीख 18-07-23 को नरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की
गई।

जायसिंह अडिखरी
माण्डल, जिला भीलवाड़ा